न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
45/2018	**FSS ACT**	04.07.2018	29-3-2023

1 वेद प्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

—आवेदक

बनाम

1 याकूब खान पुत्र बशीर खान उम्र 52 वर्ष जाति मुसलमान, निवासी 105 बजरंग कॉलोनी वार्ड नं0 24 गंगापुर सिटी हाल निवासी नहर रोड, इस्लामपुर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक व मौके पर विक्रेता) मैसर्स के0 एम बी0 (स्वीट्स) कन्फेसनरी करौली फाटक के पास गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

—अभियुक्त

<u>जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011</u>

निर्णय

दिनांक 29-3-2023

....

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकार पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्त 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) प्रस्तुत कर निवेदन किया है। जिसके अनुसार आवेदक दिनांक 20.10.2016 को लगभग 11:30 पीएम पर मैसर्स के0 एम बी0 (स्वीट्स) कन्फेसनरी करौली फाटक के पास गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर पहुँचा वहा पर याकूब खान पुत्र बशीर खान उम्र 52 वर्ष जाति मुसलमान निवासी नहर रोड, इस्लामपुर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक व मौके पर विक्रेता) पर उपस्थित था को मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, एवं मेरे द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा स्वयं के निर्वाचन आयोग पहचान पत्र एवं नगर पालिका गंगापुर सिटी द्वारा जारी खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति पेश की विक्रेता

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ सोहन पपडी (बेसन, मेदा, रिफाइन्ड, सोयावीन तेल एवं रंग से निर्मित) लगभग 250 किलोग्राम दुकान में रखी हुई थी। के मानक स्तर का नही होने का शक होने पर नमुना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0–5अ की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ सोहन पपडी 2 किलो वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 160 रूपये नकदी चुका कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता हस्ताक्षर है उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ सोहन पपडी 2 किलो कांच की साफ–सुथरी शिशीयों में बराबर–बराबर भरकर 40–40 बूंद फारमेलिन की डाल कर एयर टाइट बंद किया। मेरे द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज मे लपेटकर अभिहित अधिकार सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच 1027 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। यह कि ओदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तेयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता याकूब खान पुत्र बशीर खान ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किय। फर्द रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। सह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅच कर फार्म नं0 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्उ लिफाफे में मोहम्मद असलम वार्ड बॉय द्वारा विश्लेश्क, कोटा को जमा करवाकर अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 ककी दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर साथ नमूने भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/2840 दिनांक 08.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक कोट से प्राप्त जांच रिर्पोट सं0 290/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2016/77 दिनांक 28.10.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सोहन पपडी सबस्टेण्डर्ड **(Sub-Standard)** पाया गया है। जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संनग्न है। यह है कि आवेदक द्वारा अनुसंधान बाबत् मैसर्स के0 एम0 बी0 (स्वीट्स) कन्फेशनरी करौंली फाट के पास गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर को लिखे पत्र की प्रतियां जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलनग्न है। यह कि मेरे द्वारा प्रकरण में समस्त दस्तावेज पत्रांक एफएसएसए/2016/2840 दिनांक 08.11.2016 की पालना में श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/3177 दिनांक 27.09.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

किया गया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड (Sub-Standard) खाद्य पदार्थ सोहन पपडी का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 6 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित हुआ। अभियुक्त ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। बहस के दौरान वकील अभियुक्त ने जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अभियुक्त/प्रार्थी केवल सोहन पपडी बनाने का कार्य करता है जो बाजार से रॉ-मेटेरियल खरीदकर प्रार्थी के यहा तैयार की जाती है बाजार से जो रॉ-मेटेरियल खरीदा जाता है उसमे किसी तरह की कोई स्टेण्डर्ड की कमी है तो इसके लिये अभियुक्त/प्रार्थी को जिम्मेदार नही ठहराया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 20.10.2016 को प्रार्थी से कुछ कागजों पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवाये थे। मगर मुझ अभियुक्त/प्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कोई सोहन पपडी विक्रय नही की वकील अभियुक्त ने यह भी निवेदन किया की उक्त प्रकरण की कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कई नियमों की अवहेलना की है तथा अभियोजन स्वीकृती देते समय भी सीएमएचओ ने सही प्रकार से दस्तावेजों की जांच नही की है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है तथा उक्त कार्य कर अपने परिवार का पेट पालन करता है अभियुक्त/प्रार्थी गरीब व्यक्ति है उसके पास अन्य कोई व्यवसाय नही है इस छोटे से कार्य से वह अपने परिवार का पालन करता है तथा उक्त कार्य बहुत ही छोटे स्तर पर किया जाता है। अतः नरम रुख अपनाते हुए प्रकरण को ड्रॉप फरमाए जाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्त की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न FOOD SAFTY AND STANDARDS LABORATORY कोटा की REPORT OF THE FOOD ANALYSED क्रमांक 290/FSSA/KOTA/ACT/2016/77 दिनांक 28.10.2016 का भी अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

"Opinion- The sample of **"Soan papdi (prepared with Besan, maida, soiabean, refiend, colour)(loose)"** bearing Code No. and Sr. No. H-1027 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub Standard as it does not conform to the provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standard and Food Additives) Regulations, 2011."

उक्त रिपोर्ट के मुताबिक सोहन पपडी का सेम्पल SERIAL NO. H-1027 [SUB STANDARD] पाया गया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
माधोपुर सिटी (स०मा०)

अभियुक्त द्वारा सब–स्टेन्डर्ड (**Sub-Standard**) प्रकृति की खाद्य वस्तु निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। अभियुक्त द्वारा अंकित कथनों के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किया है। लेकिन अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अभियुक्त को 30,000/–(अक्षरे तीस हजार रूपये मात्र) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29-3-2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवरत्न कोली)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)